

वनस्वरूप क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति परियोजनान्तर्गत जनपद-सोनभद्र की पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु ग्राम-कनछ के आराजी सं० 4ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु $400 \times 150 = 60000$ वर्ग मीटर (6.00 हे०) व पाईप लाइन हेतु 1200×2.5 मी० $= 3000$ वर्गमीटर (0.3 हे०) तथा जैकवेल (क्वार्टर) $40 \times 25 = 1000$ वर्ग मीटर (0.100 हे०) योग (6.4 हे०) एवं ग्राम कनछ के आराजी संख्या-1 मि० सोन नदी वन भूमि में $50 \times 6 = 300$ वर्गमीटर (0.0300 हे०) इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु पाइप लाइन एवं नदी के अन्दर इन्टेकवेल चैम्बर $5 \times 5 = 25$ वर्गमीटर (0.0025 हे०) योग (0.0325 हे०) कुल योग-6.4325 हे० भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-कनछ के आराजी सं० 4ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु 6.4325 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्र की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

क्षेत्राध्यक्ष अधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा-रेंज सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन

पति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मौरजापुर